न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी— श्री अनूप सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
67/2016	30.05.2024	31.07.2024

1. संतरा पत्नी स्व0 श्याम, माली नि0छावा की बगीची तह0 गगापुरसिटी
2. कैलाश पुत्र स्व0 श्याम, माली नि0छावा की बगीची तह0 गगापुरसिटी
3. भगवानसहाय पुत्र स्व0 श्याम, माली नि0छावा की बगीची तह0 गगापुरसिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र धुन्धी, (चुन्नी) माली नि0छावा की बगीची तह0 गगापुरसिटी
2. उप पंजीयक जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
3. नरेश पुत्र स्व0 रामजीलाल,मीना नि0 नसिया कोलोनी, गंगापुर सिटी (नाम हजफ किया गया।)
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

श्री अवधेश त्रिवेदी, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 1.25 है0 व खसरा नम्बर 331 रकबा 0.29 है0 कुल रकबा 1.54 है0 ग्राम छावा में स्थित है। यह भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की सहखातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा जमाबंदी में दर्ज है। पक्षकारों ने मौके पर विभाजन किया हुआ है एवं उसी अनुसार प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि रिकार्ड में शामलाती है, पक्षकारों ने मौके पर विभाजन किया हुआ है इसके बाद भी आयेदिन भूमि के सीमाचिन्हों को लेकर विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि का विभाजन करने के लिए कहा परन्तु वह टालता रहा। दिनांक 05.05.2024 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से भूमि विभाजन हेतु कहा तो उसने प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। अप्रार्थी झगडालू किस्म का व्यक्ति है और वह प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि को जबरन हडपकर बेचान करने पर उतारू है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह भूमि विभाजन के बाद प्रार्थीगण को प्राप्त होने वाली भूमि ग्राम छावा के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजामहत ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें, भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे एवं भूमि का विभाजन कराये बिना भूमि में से भूखण्ड को बेचान नहीं करे तथा मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2,3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी संख्या 1 का मौके पर कब्जा भी नहीं है तो उसका भूमि पर काश्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है प्रार्थी संख्या 1 अपनी ससुराल में रहती है। जबाबदार उसके राजस्व रिकार्ड के हिस्से की एवज में उसके भात जामने देते रहते है। प्रार्थी संख्या 2 व 3

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

व जबाबदार उसकी हिस्से की भूमि पर काश्त करते है। प्रार्थी संख्या 1 का मौके पर भूमि पर कब्जा नही है इसलिए उसे विभाजन का अधिकार भी प्राप्त नही है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र गलत प्रस्तुत किया है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम छावा खाता संख्या 51 प्रस्तुत की है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब के समर्थन मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करता है एवं प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने अपनी बहस मे कहा कि प्रार्थी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त भूमि हैं एवं उसमें प्रार्थी संख्या 2 व 3 के साथ मिलकर गलत तथ्यों के आधार पर यह टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 51 ग्राम छावा के अनुसार भूमि ख0नं0 176, 331 कुल रकबा 1.54 है0 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की सहखातेदारी में दर्ज है। इसमें अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 है तथा शेष हिस्सा प्रार्थीगण संख्या 1,2,3 का है। अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 का कब्जा नही है परन्तु इस सम्बन्ध में इन्होंने कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है। वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की है। प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच में कब्जा माना जाता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मामले में वादग्रस्त भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 1.25 है0, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.29 है0 कुल रकबा 1.54 है0 ग्राम छावा की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभयपक्षकारान को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नोट :- टाइटल में अप्रार्थी सं०1 गोपाल के पिता का नाम चुन्धी के स्थान पर चुन्नी दर्ज किया गया एवं अप्रार्थी सं० 3 नरेश का नाम इजाफ किया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राज०)

(अनूप सिंह)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)